अवर सचिव
UNDER SECRETARY

सत्यमेव जयते

उप-राष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT
नई दिल्ली/NEW DELHI - 110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

फाइल संख्या वीपीएस-55/01-आरटीआई/66/2013-14 8 मार्च, 2013

श्रीयुत राजेन्द्र चतुर्वेदी
उपसचिव (संसदीय कार्य)
केन्द्रीय सूचना अधिकारी,
श्रम शक्ति भवन,
नई दिल्ली।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत सूचना हेतु

महोदय,

संलग्न पत्र श्री रामाश्रय सिंह, सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा सदस्य, पी यू सी एल, क्वाटर सं. आई एम 567, पो. सिंदरी -828122, जिला धनबाद झारखण्ड का दिनांक 14 फरवरी 2013 का पत्र इस कार्यालय में दिनांक 4 मार्च 2013 को प्राप्त हुआ है जिसके साथ इन्होंने रू0 10/- का पोस्टल आर्डर सं. 15एफ 360956 संलग्न कर डी. भी. सी. द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन कर विस्थापितों को नौकरी प्रदान करने संबंधी कार्यवाही की जानकारी चाही है। चूंकि पत्र की विषय-वस्तु आपके क्षेत्राधिकार से संबंधित है अत: इसे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अंतर्गत आपको हस्तांतरित किया जा रहा है। आप आवेदक को सूचना उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

यदि पत्र की विषय वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती हो तो इसे संबंधित लोक सूचना अधिकारी को हस्तांतरित करने का कष्ट करें ।

धन्यवाद,

भवदीय,

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रतिलिपि:-
श्री रामाश्रय सिंह, सलाहकार, घटवार आदिवासी महासभा सदस्य, पी यू सी एल, क्वाटर सं. आई एम 567, पो. सिंदरी -828122, जिला धनबाद झारखण्ड-कृपया विस्तृत जानकारी हेतु उक्त जनसूचना अधिकारी से संपर्क करें।

(महिताब सिंह)
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

प्रपत्र 'क' (नियम 3 (1) देखें आई0 डी0 सं0 (कार्यालय प्रयोग के लिए)

सेवा में,

लोक सूचना पदाधिकारी

(विभाग/कार्यालय) Vice President

Govt of India - New Delhi

1. आवेदक का नाम ....

2. पूरा पता ....

3. माँगी गई सूचना का ब्यौरा (संक्षेप में)

संलग्न आरोप के आलोक में की गई कार्यवाही से मुझे अवगत कराया जाए

4. मैं एतद् द्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मेरी पूरी जानकारी में माँगी गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नही है । यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है ।

5. (1) मैंने 10/- रूपये (शब्दों में) Ten

तिथि 14-2-13 को रसीद सं0 13F/360956

से विभाग कार्यालय में भुगतान किया है ।

.... दिनांक ....

(2) मैं डिमान्ड ड्राफ्ट/भुगतानादेश सं0 .... बैंक जो .... पदाधिकारी के पक्ष में .... द्वारा जारी की गयी है, फीस के रूप में संलग्न करता हूँ ।

(3) मैं .... रूपये का नन जुडिशियल स्टाम्प इस आवेदन में लगा दिया (सबंद्ध कर दिया) है ।

(4) मैं गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरे कार्ड/वांछित सर्टिफिकेट की छाया प्रति संलग्न है ।

आवेदक के पत्राचार का पूरा पता : ....

आवेदक का हस्ताक्षर

ई-मेल पता, अगर कोई हो ;

दूरभाष संख्या

स्थान : .... तिथि : ....

गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवार को कोई फीस देय नहीं है ।

दिनांक – 14.02.2013

त्राहिमाम फरियाद अतिम सीमा का अति ही विशेष और व्यक्तिगत रुप से

रामाश्रय सिंह
सलाहकार
घटवार आदिवासी महासभा
सदस्य, पी0यू0सी0एल0
क्वॉटर नं0–आई0एम0 567
पो0–सिन्दरी 828122,
जिला–धनबाद (झारखण्ड)
मो0 – 08986826847

प्रतिष्ठा में,
महामहिम डॉ0 सैयद अहमद
राज्यपाल, झारखण्ड (राँची)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित सचिव
उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित चेयरमैन
डी0भी0सी0, भी0आई0पी0 रोड, डी0भी0सी0 टावर
प0 बंगाल (कोलकाता)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित गृह सचिव भारत सरकार
नॉर्थ ब्लौक (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित कैबिनेट सचिव
भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित प्रधान सचिव
भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
महामहिम श्री मोहम्मद हमीद अंसारी
उप–राष्ट्रपति, भारत सरकार
6–मौलाना आजाद रोड (नई दिल्ली)

......2

प्रतिष्ठा में,
महामहिम श्री प्रणव मुखर्जी
राष्ट्रपति, भारत सरकार (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित सचिव
विधी एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार
शास्त्री भवन (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
महामहिम डॉ0 मनमोहन सिंह
प्रधानमंत्री, भारत सरकार
नॉर्थ ब्लॉक (नई दिल्ली)

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित उर्जा मंत्री
भारत सरकार, 206, श्रम शक्ति भवन (नई दिल्ली)

प्रतिलिपि :—
प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित उपायुक्त
जिला—धनबाद।

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठित अनुमण्डल पदाधिकारी
जिला—धनबाद।

प्रतिष्ठा में,
परम प्रतिष्ठितं भू—अर्जन पदाधिकारी
जिला—धनबाद।

विषय :लोकहित में डी0भी0सी0 ने सिद्धांत तय किया और सर्कुलर दिया 15.09.77 और 06.04.90 को प्रत्येक विस्थापित परिवार से एक को नौकरी देंगे और नहीं दिया। 09.04.12 को माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सर्कुलर को डी0भी0सी0 लागू नहीं किया।
30 बार समझौता किया का उल्लंघन किया।
दिनांक 18 मार्च 2013 से 4 हजार विस्थापित पंचेत डी0भी0सी0 का कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल -- पर रिजल्ट न्याय के लिए बैठेंगे खामोशी को अनुमति मानकर।

.....3

11. दिनांक 15.09.77 और 06.04.90 को डी0भी0सी0 ने सर्कुलर दिया की प्रत्येक एक विस्थापित परिवार से एक को नौकरी दी जाएगी।

12. दिनांक 09.04.92 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रुप से निर्देश दिया कि जो 15.09.77 और 06.04.90 को सर्कुलर दिया है को लागू करें।

डी0भी0सी0 ने विस्थापितों को नौकरी देने के लिए जो पैनल बनाई थी को फ्रेजन कर दिया और नया पैनल बनाने पर भी रोक लगा दिया। जब प्रत्येक विस्थापित परिवार से एक को नौकरी देनी है तो पैनल बनाने का कोई उचित ही नहीं है।

91 विस्थापित केश किए थे कि डी0भी0सी0 ने जमीन अधिग्रहण किया है और मुआवजा का भुगतान किया है मगर जो डी0भी0सी0 ने नौकरी देने के लिए पैनल बनाई है उसमें हम 91 विस्थापितों का नाम नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन 91 विस्थापितों को नौकी देने का निर्देश दिया तो यह निर्देश तो उन सबों पर लागू होगी जिनको डी0भी0सी0 ने मुआवजा दिया है और नौकरी नहीं दिया है तो नौकरी दें।

13. अति ही विशेष :— डी0भी0सी0 ने जिन—जिन को मुआवजा का भुगतान किया है का रिकॉर्ड डी0भी0सी0 के पास तो है ही उसमें से कितने विस्थापितों को नौकरी दिया है वह भी रिकॉर्ड है और नौकरी नहीं दिया का भी साक्ष्य मुआवजा का भुगतान से पता कर उन सभी को नौकरी दे।

14. भारत ही नहीं विश्व में सामान्य दोष और गुण पर एक तरह की न्याय है।

15. डी0भी0सी0 ने दमन के लिए खूद ही मैथन में तोड़फोड़ करवाई :— उपर्युक्त आरोप की सत्यता से लज्जित, पराजीत और दूरवीत होकर तकरीबन 125 दिन से पंचेत डी0भी0सी0 में सत्याग्रह पर बैठे विस्थापितों पर (सी0आई0एस0एफ0) ने जानलेवा

हमला किया। दिनांक 22 मई 10 को सुबह 9 बजे और सारी समान लूट लिया और सत्याग्रह पर बैठे लोगों को खदेड़–खदेड़ कर पीटा और सत्याग्रह को समाप्त कर दिया।

दिनांक 22 मई 10 को 15 से 20 हजार विस्थापित का शांतिपूर्ण घेरा–डेरा था को आक्रोशित करने के लिए सत्याग्रह पर बैठे लोगों पर जान लेवा हमला किया।

16. जिला धनबाद, जिला जामताड़ा, जिला पुरुलिया, जिला वर्दवान और झारखण्ड की राजधानी राँची और प0 बंगाल की राजधानी कोलकाता और देश की राजधानी दिल्ली तक 100 बार सत्याग्रह 15 बार भूख हड़ताल मैथन से कोलकाता पदयात्रा वगैरह 2006 से 2013 तक शांतिपूर्ण आन्दोलन को दमन से दबाने के लिए ही सत्याग्रह पर बैठे लोगों को मारपीट करके खदेड़ दिया। यह आरोप सत्य ही है गंभीर भी है इस आरोप का जाँच करें की दिनांक 22 मई 2010 को सुबह 9 बजे सत्याग्रह पर बैठे लोगों को मारपीट कर खदेड़ दिया था यह सत्य है या नहीं और सत्य है तो यह भी सत्य है मैथन में 22 मई 2010 को तोड़–फोड़ के लिए खूद प्रबंधन ही जवाब देह है।

अतः हे मान्यवर सर्वप्रथम तो आप बिती मानकर व्यक्तिगत रुप से हस्तक्षेप कर रिजल्ट न्याय से बंचित को न्याय दिलाने का परम उपकार करे तय समय सीमा के अन्दर अन्यथा जिला, राज्य और देश का ऐतिहासिक 4 हजार विस्थापित 18 मार्च 2013 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे पंचेत डी0भी0सी0 का कार्यालय के समक्ष अब और टाल–मटोल नहीं रिजल्ट नियोजन दे तय सिद्धांत का पालन और आदर करे पूर्व में हुई समझौता का।

सधन्यवाद

प्रार्थी

रामाश्रय सिंह

रामाश्रय सिंह